वार्षिक लेखे

2008—09

एवं

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2008—09

अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (ए.यू.डी.)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने **अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली** के दिनांक 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और इसके साथ संलग्न 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम योजना बनाएं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरण मेटेरियल गलतबयानी से मुक्त हो। एक लेखापरीक्षा में एक जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि का समर्थित सबूत और प्रकटीकरण पर जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में लेखाकरण सिद्धांत कथन प्रेजेंटेशंस का आकलन शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I. स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खर्च की गई राशि खरीद के वर्ष में खर्च के रूप में ली गई है।

उपर्युक्त के अधीन,

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं विश्वास तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न और इसके साथ संलग्न लेखाकरण नीति के उल्लिखित ख़ातें सत्य हैं एवं पर्याप्त अलोकन देते हैं :

क. दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली की परिस्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और

ख. दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए उपदान के उपयोग के आय एवं व्यय लेखा के मामले में

कृते : एम. वर्मा एंड एसोसिएट्स,
चार्टरित लेखाकार

भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05/10/2009

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

देयताएं	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	परिसंपत्तियां	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
अवितरित अनुदान			स्थायी परिसंपत्ति	II	8320141.00
आय एवं व्यय लेखा के अनुसार		37025571.00	चालू परिसंपत्तियों तथा ऋणों एवं अग्रिमों	III	37211021.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	I	185450.00			
पूंजीगत निधि					
पूंजीगत व्यय की धनराशि		8320141.00			
		45531162.00			**45531162.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05/10/2009

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	भुगतान	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
आरंभिक नकद एवं बैंक शेष		0.00	स्थायी परिसंपत्तियां	II	8320141.00
प्राप्त अनुदान			प्रशासन लागत	IV	4156594.00
पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान		20000000.00			
राजस्व व्यय में सहायता अनुदान		30000000.00	पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लागत		500000.00
फार्मों की बिक्री		5700.00	अग्रिम		16005795.00
पंजीकरण शुल्क		36000.00			
प्रतिभूति जमा	I	20000.00	अंत शेष नकद एवं बैंक बैलेंस		21205226.00
बैंक ब्याज					
केनरा बैंक		126056.00			
कुल		**50187756.00**	**कुल**		**50187756.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05/10/2009

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	संलग्नक	धनराशि रु. पै.	आय	संलग्नक	धनराशि रु. पै.
स्थायी परिसंपत्तियां	II	8320141.00	प्राप्त अनुदान		
प्रशासन लागत	IV	4322044.00	पूंजीगत व्यय में सहायता अनुदान		20000000.00
पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम की लागत		500000.00	राजस्व व्यय में सहायता अनुदान		30000000.00
			फार्मों की बिक्री		5700.00
			पंजीकरण शुल्क		36000.00
तुलन-पत्र से अग्रनयन अवितरित अनुदान		37025571.00	बैंक ब्याज		126056.00
कुल		**50167756.00**	**कुल**		**50167756.00**

उसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.10.2009

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

संलग्नक I - चालू देयताएं एवं प्रावधान

	धनराशि
प्रतिभूति जमा	20000
देय लेखापरीक्षा शुल्क	165450
कुल	**185450**

संलग्नक II - स्थायी परिसंपत्तियां

	धनराशि
एयर कंडीशनर्स	138476
कंप्यूटर एवं उपकरण	4033250
फर्नीचर एवं फिक्श्चर	2420927
लाइब्रेरी पुस्तक खाता	1603488
मोबाइल फोन	124000
कुल	**8320141**

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

संलग्नक III - चालू परिसंपत्तियां एवं ऋण तथा अग्रिम

	धनराशि	
भाग-क चालू परिसंपत्तियां		
हाथ रोकड़	8103	
बैंक शेष	21197123	21205226
भाग-ख ऋण एवं अग्रिम		
आईआईसी की बैठक पर व्यय हेतु अग्रिम	50000	
इले. विभाग वर्क हेतु पीडब्ल्यु को अग्रिम	15800000	
कर्मचारी पर कार्यालय व्यय हेतु अग्रिम	145457	
लेनदारों को अग्रिम	10338	16005795
कुल		
		37211021

संलग्नक IV - प्रशासन लागत

	धनराशि
विज्ञापन और प्रचार	448653
परामर्श कार्य	55579
वाहन का किराया	173000
विद्युत व्यय	7270
प्रदर्शनी पर व्यय	7700
सामान्य व्यय	29425
मानदेय	929566
इंटरनेट एवं डाटा कार्ड्स	3820
श्रमिक पर व्यय	2100
बैठक एवं सेमीनार पर व्यय	260128
डाक एवं कूरियर	3062
प्रिटिंगएवं एवं स्टेशनरी	149516
वेतन एवं भत्ते	1384441
कर्मचारी कल्याण	9654
अभिदान एवं पिरिऑडिकल्स	4665
दूरभाष पर व्यय	96402
परिवहन व्यय	591613
लेखापरीक्षा शुल्क	165450
कुल	**4322044**

श्याम बी. मेनन
कुलपति
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

सी.एम. शर्मा
परामर्शदाता(वित्त)
अम्बेडकर विश्वविद्यालय

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

1209, हेमकुंट चैंबर
89, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019
फोन : 26475905, टेलीफैक्स: 26211211
ई-मेल : mvermassociates@yahoo.in

वित्त नियंत्रक
अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
लोथियन रोड,
कश्मीरी गेट,
दिल्ली-110006

दिनांक :19-02-2016

संदर्भ : वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय के खातों पर नोट्स ।

महोदय,

यह वर्ष 2008-09 हेतु खातों पर नोट्स की प्रति आपको उपलब्ध कराने के संबंध में हाल ही में आपसे हुई बात का संदर्भ है। उपर्युक्त के जवाब में यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2008-09 विश्वविद्यालय लेखा का पहला वर्ष था और केवल लेखाकरण नीतियां को अंतिम रूप दिया गया था तथा जिसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि प्रचालन के पहले वर्ष के कारण कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया जा रहा है, लेखा पर कोई भी नोट्स अपेक्षित नहीं थे।

आपको किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी की जरूरत हो तो आपका स्वागत है।

सधन्यवाद,

भवदीया,

एम. वर्मा एंड एसोसिएट
चार्टरित लेखाकार

मदन
(भागीदार)

अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली

(क) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अनिवार्य लेखा मानकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ प्रोद्भवन लेखांकन विधि पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत खातों को तैयार किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

(i) निम्नलिखित (ii) को छोड़कर आय और व्यय का प्रोद्भवन आधार पर हिसाब रखा जाता है:

(ii) विद्यार्थियों से प्राप्त फीस और अन्य प्राप्तियों तथा सरकारी अनुदानों का प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है।

(3) स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियों को लागत के रूप में दर्शाया गया है और खरीद के वर्ष में पूरी तरह से चार्जड ऑफ किया गया है।

(4) अनुदान के लिए लेखाकरण

(i) पूंजीगत व्यय हेतु सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते में प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(ii) राजस्व खर्च के संबंध में सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को प्राप्ति वर्ष में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अम्बेडकर विश्वविद्यालय-दिल्ली

सी.एम. शर्मा	**श्याम बी. मेनन**
परामर्शदाता(वित्त)	**कुलपति**
अम्बेडकर विश्वविद्यालय	**अम्बेडकर विश्वविद्यालय**

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित लेखापरीक्षा का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा"

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2008—09

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली का कार्यालय
आई.पी. स्टेट, ए.जी.सी.आर. भवन, नई दिल्ली-110 002

सं. एस.एस.1/अम्बेडकर/लेखा 2008-09/ 2014-15/ दिनांक : 10/8/15

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
'बी' विंग द्वितीय तल,
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली 1100-54

विषय : वर्ष 2008-09 के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं इसके साथ वर्ष 2008-09 हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लेखा पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करता हूं। कृपया विधानमंडल में प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की दो प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया प्रमाणित लेखा तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने तक इन्हें ''गोपनीय'' समझा जाए।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

सं. एस.एस.1/अम्बेडकर/ लेखा 2008-09/14-15/96

1. कुलसचिव, अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली – इस कार्यालय को प्रमाणित लेखा के हिंदी पाठ की 5 प्रतियां भेजने के अनुरोध सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (एबी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110 124

उप महालेखाकार(एस.एस.ए.)

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(रिपोर्ट)

हमने 31 मार्च, 2009 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19(3) के अंतर्गत उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संलग्न तुलन-पत्र, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा तथा आय एवं व्यय लेखा की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के प्रबंधन की है। हमारी जवाबदेही हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

1. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मसौदा में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखा प्रयोगों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों इत्यादि के संबंध में लेखा परीक्षण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी.ए.जी.) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों(औचित्य और नियमनिष्ठा) एवं कार्यकुशलता-सह-प्रदर्शन पहलुओं इत्यादि के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन संव्यवहारों लेखापरीक्षा टिपपणियां, यदि कोई हो, तो जांच रिपोर्ट/सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित की जाती हैं।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों से अपेक्षा है कि हम वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष अयथार्थता से मुक्त होने के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। एक लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण रूप से प्रतिपादन का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए एक सार्थक आधार प्रदान करती है।

3. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :**

   i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु यथासंभव हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

   ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा आईसीएआई द्वारा जारी आमतौर पर स्वीकृत लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   iii. हमारी राय में, विश्वविद्यालय द्वारा उचित खाता बही और अन्य संबंधित अभिलेखों (रिकार्ड्स) को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किया गया है जहां तक ऐसे खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   iv. इसके अलावा हम सूचित करते हैं :

ए. सामान्य

क) तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार स्वायत्त निकायों हेतु निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं किया गया था।

ख) अग्रिम रजिस्टर के अभाव में कार्यालय खर्च हेतु स्टाफ को भुगतान किए गए रु.1.45 लाख के अग्रिमों का सहायक (सब्सिडरी) अभिलेखों से लेखापरीक्षा का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग) पुस्तकालय के परिग्रहण(अससेसन) रजिस्टर में क्रय तथा परिग्रहण की गई पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है।

बी. सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 के अनुसार विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा निदेशालय से रु.5.00 करोड़(रु.2.00 करोड़ 'पूंजीगत' और रु.3.00 करोड़ 'राजस्व') का सहायता अनुदान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय की रु.5.01 करोड़ के प्रति अपनी आय रु.0.01 करोड़ थी, विश्वविद्यालय ने वर्ष की समाप्ति पर रु. 3.70 करोड़ (रु.1.17 करोड़ 'पूंजीगत', रु.2.52 करोड़ 'राजस्व और रु.0.01 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां) की अप्रयुक्त राशि को छोड़कर वर्ष के दौरान रु.1.31 करोड़(रु.0.83 करोड़ 'पूंजीगत' और रु.0.48 करोड़ 'राजस्व') उपयोग किए।

v. पिछले पैराग्राफो में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा जिसे इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया है, लेखा बही के अनुसार है।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण के साथ पठित लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियां तथा उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों में भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही एवं उचित मत दिया है।

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबधित है, और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष(सरप्लस) से संबधित है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** –चार्टेड अकाउन्टेंट तथा लेखापरीक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** –
   विश्वविद्यालय की कोई भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी और वर्ष 2008-09 के दौरान किसी कार्य बल की तैनाती नहीं थी । विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

3. **स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली-** वर्ष 2008-09 हेतु गैर-उपभोज्य/स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। कोई परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, इस प्रकार रु.83.20 लाख मूल्य की परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

4. **उपभोज्य/वस्तु सूची(इन्वेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** - वर्ष 2008-09 हेतु वस्तु सूची(इन्वेंटरी)/उपभोज्य सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

5. **सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता** - संस्थान द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय ने सांविधिक देय राशि का भुगतान किया।

पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 पर पैरा वार कार्यवाही

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विश्वविद्यालय की कार्रवाई

2008-09	
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	**कृत्य कार्रवाई /अपेक्षित**
ए. सामान्य	
क. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के अनुसार लेखा अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	अब, वर्ष 2014-15 के बाद से भारत के सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार लेखा तैयार किए जा रहे हैं।
ख. अग्रिम रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए हैं।	अग्रिम को रिकार्ड करने के लिए अग्रिम रजिस्टर बनाया जा रहा है तथा वर्ष 2011-12 से उसकी वसूली की निगरानी की जा रही है।
ग. पुस्तकालय के परिग्रहण रजिस्टर में पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को नहीं लिया गया है।	पुस्तकालय की पुस्तकों के प्रोग्रेसिव मूल्य को वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू किया जाएगा।
बी. सहायता अनुदान रु.3.70 करोड़ का अव्ययित शेष ।	यह विश्वविद्यालय शुरू होने का आरंभिक वर्ष था और आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए रु.3.70 करोड़ की अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष तक ले जाया गया था।
संलग्नक	
1. आंतरिक लेखापरीक्षा सिस्टम की पर्याप्तता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।
2. आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की पर्याप्तता।	आंतरिक नियंत्रण सिस्टम को लागू किया गया और आंतरिक नियंत्रण विंग की स्थापना को मजबूत किया गया।
3. परिसंपत्ति रजिस्टरों को अनुरक्षित नहीं किया गया तथा उनका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।	परिसंपत्ति रजिस्टर इसके बाद तैयार किए गए और अनुरक्षित किए जा रहे हैं।
4. वस्तु सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन।	प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।
5. सांविधिक देय धनराशि के भुगतान में नियमितता।	तथ्यपूर्ण स्थिति। इसलिए कृपया कोई टिप्पणी नहीं।